प्रेस ब्रीफ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 21 दिसंबर,2021

प्रत्यक्ष करों पर 2021 की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 8 संसद में प्रस्तुत

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2021 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.8) आज संसद में प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में ₹ 12,893.13 करोड़ के कर निहितार्थ की 578 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ निम्नानुसार हैं:

- वि.व. 2019-20 में प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों (₹ 10.51 लाख करोड़) में वि.व. 2018-19 की तुलना में 7.6 *प्रतिशत* की कमी हुई। तथापि, सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का भाग वि.व. 2018-19 में 54.7 *प्रतिशत* से घटकर वि.व. 2019-20 में 52.3 *प्रतिशत* हो गया (पैराग्राफ 1.4.1 और 1.4.2)।
- निगम कर से संग्रहण वि.व. 2018-19 में ₹ 6.63 लाख करोड़ से 16.1 *प्रतिशत* घटकर वि.व. 2019-20 में ₹ 5.57 लाख करोड़ हो गया और आयकर से संग्रहण वि.व. 2018-19 में ₹ 4.62 लाख करोड़ से 4.0 *प्रतिशत* बढ़कर वि.व. 2019-20 में ₹ 4.80 लाख करोड़ हो गया (पैराग्राफ 1.4.3 और 1.4.4)।
- गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या 3.16 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 2018-19 में 6.20 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2019-20 में 6.39 करोड़ हो गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या 0.9 *प्रतिशत* की कमी दर्ज करते हुए वि.व. 2018-19 में 8.46 लाख से घटकर वि.व. 2019-20 में 8.38 लाख हो गई (पैराग्राफ 1.4.8 और 1.4.9)।
- बकाया मांग वि.व. 2018-19 में ₹ 12.3 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2019-20 में ₹16.2 लाख करोड़ हो गई। जिसमें से 97.6 *प्रतिशत* से अधिक असंग्रहीत मांग की वसूली वि.व. 2019-20 में करना मुश्किल है (पैराग्राफ 1.9.1 और 1.9.2)।

- आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा की गयी अभ्युक्तियों के आधार पर 2019-20 के दौरान ₹ 235.12 करोड़ की वसूली की (पैराग्राफ 2.5)।
- इस प्रतिवेदन में ₹ 12,476.53 करोड़ के निहितार्थ वाले निगम कर से संबंधित 356 उच्च मूल्य के मामले इंगित किए गए हैं (पैराग्राफ 3.1.1)। ये मामले मुख्यतः आय एवं कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों, ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों, मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानियों/पूंजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताओं, अनियमित छूटों/कटौतियों/छूटों/राहत/मैट क्रेडिट, व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति, सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय आदि से संबंधित थे।
- 356 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, हमने ₹ 3,976.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर निर्धारणों में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमिताओं के 38 मामलों को उदाहरण के रुप में दिया गया है। इस अध्याय में निर्दिष्ट की गई अनियमितताओं में शामिल हैं संचालन के छठे वर्ष में 50 *प्रतिशत* के बजाय 100 *प्रतिशत* की अस्वीकार्य दर पर निर्धारिती को अधिनियम की धारा 10एए के अन्तर्गत ₹ 1,262.76 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति, विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधि (एफसीटीआर) के अन्तर्गत शेष के रूप में बैंकिंग कंपनी के मामले में आय का निर्धारण न करना ₹ 774.72 करोड़ का कर प्रभाव ₹ 155.36 करोड़ (ब्याज अतिरिक्त) के कर प्रभाव वाले ₹ 467.70 करोड़ के शेयर प्रीमियम के बदले अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट पर कर के उदग्रहण की चूक; तथा निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए टीडीएस के ₹ 1.01 करोड़ के उपलब्ध क्रेडिट के बजाए ₹ 65.66 करोड़ के पूर्व प्रदत्त करों की गलत अनुमति तथा ₹ 95.04 करोड़ के ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां।
- इस प्रतिवेदन में ₹ 416.60 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर से संबंधित 222 उच्च मूल्य के मामले इंगित किए गए है (पैराग्राफ 4.1.1)। ये मामले मुख्यतः कर, अधिभार आदि की दरों के गलत लागू करने, ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियों, मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानियों/पूंजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताओं, आय की गलत गणना आदि से संबंधित थे।
- उद्धृत 222 उच्च मूल्य के मामलों में से, हमने आयकर निर्धारण में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 39 मामलों को उदाहरण के रुप में दिया गया है जिसमें ₹ 251.85 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। इस अध्याय में दर्शाई गई अनियमितताओं में शामिल हैं: ₹ 45.60 करोड़ के भुगतान नहीं किये गये करों की गलत अनुमति और ₹ 68.12 करोड़ के ब्याज का गैर-उदग्रहण देय तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल न करने, कर का कम भुगतान करने और अग्रिम कर के

भुगतान में चूक के कारण ₹ 21.60 करोड़ के ब्याज का गलत उदग्रहण; ₹ 26.44 करोड़ की अग्रेषित हानि की गलत अनुमति जिसमें ₹ 12.32 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था; और ₹115.53 करोड़ की सही देय मांग के स्थान पर ₹ 103.22 करोड़ की देय मांग की गलत गणना जिसमें ₹ 12.31 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल था।

इसके अलावा, इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित तीन सिफारिशें भी शामिल की गई थीं।

(i) कर और अधिभार की गलत दरों को लागू करना, ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों की कमजोरी को दर्शाते हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है;

(ii) यदिद्प *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामलों में सुधार आरंभ करने के लिए कार्रवाई की है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि ये निदर्शी मामले लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए मामलों में ये केवल कुछ ही हैं। सभी निर्धारणों की संपूर्ण संसृति में, गैर-संवीक्षा निर्धारण सहित, भूल या चूक की ऐसी त्रुटियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। सीबीडीटी को न केवल अपने निर्धारणों पर दोबारा ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक पूर्णतः सुरक्षित आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है;*

(iii) सीबीडीटी इस बात की जांच कर सकता है कि क्या पाई गई "त्रुटियों" के मामले, भूल या जानबूझ कर की गई त्रुटियां हैं और यदि ये जानबूझ कर की गई त्रुटियां हैं तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

BSC/SS/TT